न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या : 6/2016 निगरानी

1. राजेन्द्र पुत्र दामोदर प्रसाद
2. राजेश पुत्र दामोदर प्रसाद
   जाति ब्राह्मण निवासी झूपडियां राजावतान तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा ।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र गणपतलाल जाति महाजन निवासी झूपडियां राजावतान तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. ग्राम पंचायत नयावास पंचायत समिति लालसोट द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत नयाबास।

गैरनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध पट्टा देहानी ग्राम पंचायत नयावास दिनांक 11.1.2013 बहक रामस्वरूप विपक्षी सं0 1 अन्तर्गत धारा 97 रा0 प0 अधिनियम।

उपस्थिति : श्री ब्रजमोहन गौड अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
: श्री हरिनारायण माठा गैरनिगरानीकर्ता सं0 1

—: निर्णय :— दिनांकः 10.10.2017

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि विपक्षी सं0 1 द्वारा निगरानीकर्तागण के मकान के सामने चौक में पाटोल खडी कर निर्माण करने पर निगरानीकर्तागण ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश लालसोट के यहां वाद उनवानी राजेन्द्र प्रसाद बनाम रामस्वरूप आदि मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 20.9.2013 को प्रस्तुत किया। न्यायालय ने निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 27.9.2013 को प्रचलित फरमा दी। विपक्षी ने अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश दौसा में प्रस्तुत की जो अपील सं0 37/2013 वीसी नं0 26/13 पर पंजीबद्ध होकर दिनांक 9.2.2015 को निरस्त फरमा दी गयी। विपक्षी ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के दौरान निगरानीकर्तागण के मकान के सामने की भूमि का पट्टा अपने पास होने का कथन वादोत्तर प्रार्थना पत्रोत्तर अथवा अपील मीमो नहीं किया। विपक्षी ने दिनांक 27.1.16 को प्रश्नगत पट्टा वाद में उसके साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत किया। जिससे प्रार्थी के प्रश्नगत पट्टा की जानकारी हुई। विपक्षी ने तत्कालीन सरपंच श्रीमती रूपा देवी से निगरानीकर्तागण के मकान के सामने की भूमि का पट्टा गुप्त रूप से कूटरचित कर तैयार करवा लिया। प्रश्नगत पट्टा नियम 157(2) रा0प0रा0नि0 के प्रावधान अनुसार दिया जाना दर्शित है। पट्टा प्राप्ति हेतु विपक्षी सं0 1 के द्वारा ग्राम पंचायत में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ। ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण हेतु पंचो की नियुक्ति नहीं की गई। विपक्षी के पुराना कब्जा होने की कोई साक्ष्य नहीं ली गयी एवं न ही कोई नजराना कायम कर जमा किया गया। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत पट्टा दिनांक 11.1.13 को प्रचलित किया गया है। ग्राम पंचायत में कोई अभिलेख नहीं है। निगरानीकर्ता

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

प्रश्नगत पट्टा से व्यथित पक्षकार है। अतः कूटरचित तैयार किये गये प्रश्नगत पट्टा दिनांक 11.1.2013 को निरस्त फरमाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी गैरनिगरानीकार की गई व बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा बहस के दौरान निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत नयावास द्वारा विपक्षी सं0 1 के नाम दिनांक 11.1.2013 को प्रचलित प्रश्नगत पट्टा विधि प्रक्रिया नियम तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्वान्तो के विपरीत फरमाये जाने के कारण निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा की भूमि पर गैरनिगरानीकार सं0 1 द्वारा अनाधिकृत निर्माण कार्य शुरू करने पर दिनांक 16.9.2013 को निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विपक्षी को सूचना पत्र जारी करने पर दिनांक 24.9.2013 को आबादी भूमि पर निर्माण कार्य नहीं करने के लिये पाबन्द फरमाया गया था एवं 22.9.2013 को मौका रिपोर्ट भी तैयार की गयी थी। जिससे प्रमाणित है कि उस समय गैर निगरानीकार सं0 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टा प्रचलित नहीं किया गया था। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत पट्टा यदि दिनांक 11.1.13 को प्राप्त कर लिया गया होता तो उसे निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत वाद में आवश्यक रूप से पेश किया जाता पट्टा सम्बन्धी कोई उल्लेख सिविल न्यायालय की पत्रावली में नही किया जाना प्रश्नगत पट्टा के कूटरचित होने का प्रमाण है। निशुल्क पट्टा प्राप्ति हेतु नियम 157(2) के अनुरूप दो सो रूपये शुल्क पर पट्टा 50 वर्ष से अधिक का कब्जा होने के बाद ही प्रचलित हो सकता था। प्रश्नगत पट्टा में उक्त आशय का कोई अंकन नहीं है। निगरानीकार सं0 1 को दिनांक 20.2.04 को जारी पट्टा में विवादित स्थल को खाली पडत चौक होना अंकित किया है। ग्राम पंचायत में प्रश्नगत पट्टा के सम्बन्ध में कोई अभिलेख नहीं होना सचिव ग्राम पंचायत के प्रतिवेदन से प्रमाणित है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर प्रश्नगत पट्टा दिनांक 11.1.2013 को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता गैरनिगरानीकार सं0 1 द्वारा निवेदन किया कि प्रश्नगत पट्टा दिनांक 11.1.2013 को ग्राम पंचायत नयाबास पंचायत समिति लालसोट द्वारा गैरनिगरानीकार सं0 1 के पक्ष में जारी किया गया है। ग्राम पंचायत के कार्यवाही विवरण रजिस्टर में प्रस्ताव सं0 25 में अंकितानुसार 11 पत्रावलियां प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान ग्रामसभा में पेश हुई थी। जिनमें सभी का निस्तारण कर 200 रूपये पट्टा शुल्क पर पट्टे जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। गैरनिगरानीकार सं0 1 को जारी किया गया पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा वैधानिक रूप से जारी किया गया है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाही एक ही दिन मे पूर्ण की जाकर विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.9.2013 के अनुसार विवादित स्थल का कोई पट्टा जारी नही किया जाना भी प्रकट होता है। सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद में भी गैरनिगरानीकार द्वारा विवादित स्थल का पट्टा जारी होना व्यक्त नहीं किया गया है। बहस के दौरान प्रकरण रिमाण्ड किये जाने में भी अधिवक्ता गैरनिगरानीकार सं0 1 द्वारा आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया है। उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये प्रकरण ग्राम पंचायत नयावास को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

अति0 जिला कलक्टर
टोंक

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत नयावास पंचायत समिति लालसोट द्वारा गैर निगरानीकार सं0 1 को पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत जारी किया गया पट्टा दिनांक 11.1.2013 को निरस्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत नयावास को इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में मौका निरीक्षण व नियमानुसार अपेक्षित जांच कर विधिक प्रक्रिया पालन करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 10.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा